# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 30 / 2023

अनवान : –

1. रीतिन उम्र 9 वर्ष पुत्र संजय कुमार जरिये कुदरती बली माता कविता पत्नी संजय कुमार जाति महाजन निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. आदित्य 13 वर्ष पुत्र स्व0 संजय कुमार जरिये कुदरती बली माता कविता पत्नी संजय कुमार जाति महाजन निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. कविता पत्नी स्व0 संजय कुमार जाति महाजन निवासी परलीका तहसील नोहर।

– सायलान

**बनाम्**

1. होशियारीलाल पुत्र बंशीधर जाति महाजन निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. उप पंजीयक कार्यालय उप तहसील रामगढ़।

– गैरसायालान

**<u>प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा</u>**
**<u>अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.</u>**

उपस्थिति :– श्री मांगीलाल देहडू अधिवक्ता **सायलान**
श्री मांगेराम गोदान अधिवक्ता गैरसायालन

**<u>निर्णय</u>** दिनांकः 11/03/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा चक 18 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 123 / 123 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि पूर्व में सायलान स0 1 व 2 के पडदादा व सायलान स0 3 के दादा ससुर बन्शीधर पुत्र काशीराम जाति महाजन के नाम दर्ज थी उनकी फौतदगी के बाद उनके दो पुत्रगण होशियारीलाल व नौरंगलाल के नाम दर्ज हुई तथा इन्होने वाद भूमि का खाता व लगान अलग करवा लिया और गैरसायल स0 1 के हिस्से में रोही मौजा चक 18 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 123 / 123 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि आई। गैरसायल स0 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण अकेले के उक्त भूमि दर्ज हुई है जिसमें सायलान का गैरसायल स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। सायलान स0 1 ता 2 के पिता व सायलान स0 3 के पति सरेश का देहान्त हो चुका है। सायलान स0 1 व 2 नाबालिग है। वाद भूमि गैरसायल स0 1 अकेले के नाम दर्ज होने से गैरसायल स0 1 उक्त भूमि को रहन, बैय करना चाहता है यदि गैरसायल स0 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो अपूर्णीय क्षति सायल को होगी इसलिए गैरसायल स0 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की जब तक वाद का निस्तारण न हो तब तक उक्त भूमि के मौका व कब्जे की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.17 10:56:08 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा चक 18 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 123 / 123 की कुल 2.5300 हैक्ट कृषि भूमि पर अंतरिम अस्थाई

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी स0 1 इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थी स0 1 उक्त वाद भूमि में से प्रार्थीगण के हक व हिस्से से अधिक भूमि को रहन, बैय व मुंतकिल न करे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थी स0 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की उत्तरदाता रिकार्डेड खातेदार है एवं रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नही है। सायलान नाबालिग है जिनके नाम से अदालत को गुमराह करके तथा उनके नाम भूमि दर्ज करवा कर फरोख्त करना चाहते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते हैः–

1. प्रथम दृष्टया मामला :– प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वाद पत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से विश्वास करने का प्रर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त अराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया अराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हों, इस का अर्थ यह नही है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जावें क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि में पूर्व में प्रार्थी के के नाम दर्ज रही है और उनकी फौतदगी के बाद सायलान के दादा यानि की अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है अर्थात विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है। वादग्रस्त भूमि पैतृक है। हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है, वादग्रस्त भूमि को पैतृक, मौरूसी एवं स्वअर्जित सम्पति होना और पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में हक निर्धारण होना शेष है जो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा और स्पष्टतः विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है और जहां विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य हो वहां रिकार्डेड खातेदार को भी निषिद्ध किया जा सकता है ताकि भविष्य में वाद बाहुल्यता को रोका जा सकें। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

2. <u>सुविधा का सन्तुलन</u>– सुविधा के सन्तुलन से तात्पर्य है कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थीगण को होगी या अप्रार्थी को। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी स0 1 विवादित अराजी का काश्तकार है परन्तु पैतृक भूमि होने के कारण प्रार्थीगण का भी वादग्रस्त भूमि में जन्मजात हक व हिस्सा है।। प्रार्थीगण का अप्रार्थी0 1 के विरूद्ध दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थीगण [illegible] है। ऐसी स्थित में न्यायालय के अभिमत में यदि अराजी को रहन बैय की जाती है तो प्रार्थीगण को असुविधा होगी क्योंकि प्रार्थीगण का भी उक्त पैतृक भूमि में हक व हिस्सा है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.17 10:56:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

3. अपूर्णीय क्षति– अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक तात्विक क्षति से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नही की जा सकती। चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है अतः अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण को होगी न की अप्रार्थी को।

अतः न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाना विधिसंगत समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी स0 1 इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा चक 18 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 123/123 के प0न0 353/419 के मु0न0 30 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि की न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि में से प्रार्थीगण के हक व हिस्सा से अधिक भूमि को रहन, बैय व मुंतकिल न करे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 11/03/2025 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.17 10:56:08 IST
Reason: SelfAttested